भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

चुनाव का पर्व
देश का गर्व
लोकसभा निर्वाचन 2024

स्मार्ट मतदाता बनें

मतदाता मार्गदर्शिका

वोट जैसा कुछ नहीं, वोट ज़रूर डालेंगे हम

पंजीकरण की प्रक्रिया

ऑनलाइन

voters.eci.gov.in

या

वोटर हेल्पलाइन ऐप

ऑफलाइन

अपने बी.एल.ओ से संपर्क करें

या

मतदाता सुविधा केंद्र से संपर्क करें

नए मतदाता के रूप में नामांकन करवाने के लिए आपको -

- भारत का नागरिक होना चाहिए
- मतदान क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए
- 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का होना चाहिए

अब नए मतदाता के रूप में नामांकन करवाने के लिए 4 अर्हक तिथियां हैं

- जनवरी 01
- अप्रैल 01
- जुलाई 01
- अक्तूबर 01

अपने विवरण की जांच करें

फार्म 8

पते में परिवर्तन/प्रविष्टियों में सुधार/मतदाता फोटो पहचान-पत्र (एपिक) का प्रतिस्थापन/दिव्यांगजन (PWD) के रूप में चिह्नांकन

फार्म 7

मतदाता सूची में नाम जोड़ने/हटाने के प्रस्ताव के विरुद्ध आपत्तियां

मतदाता सूची में

अपना नाम ऐसे खोजें

वोटर हेल्पलाइन ऐप का उपयोग करें

voters.eci.gov.in
ceo_____.nic.in

1950 पर एसएमएस करें:
ECI<space> <EPIC No>

वोट डालने के लिए, मतदाता सूची में आपका नाम अवश्य होना चाहिए।

मतदान के दिन

अवकाश

मतदान को सुविधाजनक बनाने के लिए
मतदान के दिन अवकाश की घोषणा की जाती है

यह अवकाश का दिन नहीं, यह मतदान करने का दिन है।

मतदान बूथ में कोई भी
उपकरण ले जाना मना है।

यहां अपने मतदान केंद्र का पता लगाएं :

voters.eci.gov.in

वोटर हेल्पलाइन पर कॉल करें : 1950

वोटर हेल्पलाइन ऐप

मतदान करने के लिए कोई भी एक मान्य पहचान दस्तावेज/आईडी प्रूफ लेकर जाएं

- मतदाता पहचान पत्र (एपिक)
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी)
- सेवा पहचान पत्र
- बैंक/डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक
- स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय)
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट
- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अंतर्गत भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया स्मार्ट कार्ड
- पेंशन दस्तावेज
- संसद सदस्यों/विधान सभा सदस्यों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किया गया आधिकारिक पहचान पत्र
- मनरेगा जॉब कार्ड

गैरकानूनी गतिविधियों की रिपोर्ट सी-विजिल ऐप के माध्यम से करें

मतदान प्रक्रिया

1

मतदाता लाइन में खड़े रहते हैं

2

मतदान अधिकारी मतदाता सूची में आपके नाम और आपके आईडी प्रूफ की जांच करता है

3

मतदान अधिकारी आपकी अंगुली के नाखून पर अमिट स्याही से निशान लगाता है, पर्ची देता है और आपके हस्ताक्षर लेता है

4

मतदान अधिकारी पर्ची लेता है और आपकी अंगुली के नाखून पर निशान होने की जांच करता है।

5

मतदाता वोट डालने के लिए ईवीएम पर अपनी पसंद के अभ्यर्थी/नोटा के सामने का बटन दबाता है, लाल बत्ती जल उठती है।

NOTA इनमें में से कोई नहीं' (नोटा) ईवीएम मशीनों पर अंतिम विकल्प के रूप में उपलब्ध रहता है

अपना वोट डालना

1

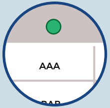

मतदान करने के लिए तैयार

जैसे ही आप मतदान कक्ष में प्रवेश करेंगे, तृतीय मतदान अधिकारी बैलेट यूनिट (बीयू) को चालू करेगा। बैलेट यूनिट की 'रेडी' लाइट जल उठेगी

2

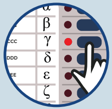

अपना वोट डालें

बैलेट यूनिट पर अपनी पसंद के अभ्यर्थी के नाम/प्रतीक-चिह्न/नोटा विकल्प के सामने नीला बटन दबाएं

3

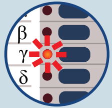

बत्ती देखें

चुने गए अभ्यर्थी के नाम /नोटा विकल्प/प्रतीक-चिह्न के सामने की लाल बत्ती जल उठेगी

4

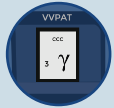

अपने वोट की पुष्टि करें

वीवीपैट मशीन से चुने गए अभ्यर्थी की क्रम संख्या, नाम एवं प्रतीक-चिह्न/नोटा के उल्लेख वाली मतदान पर्ची मुद्रित एवं प्रदर्शित होगी

5

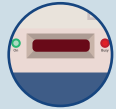

'बीप' की आवाज सुनें

कंट्रोल यूनिट से आई बीप की ध्वनि से इस बात की पुष्टि होती है कि वोट सफलतापूर्वक डाल दिया गया है

- यदि आपको वीवीपैट में मतदान पर्ची न दिखे या बीप की तेज आवाज न सुनाई दे तो पीठासीन अधिकारी से संपर्क करें
- शीशे में से पर्ची 7 सेकेण्ड के लिए दिखाई देगी। मुद्रित पर्ची वीवीपैट में सुरक्षित रख ली जाएगी।

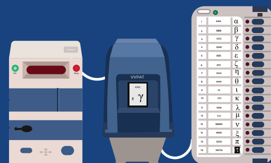

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए सुविधा ऐप

सक्षम–ईसीआई

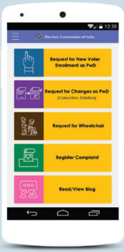

- सुगम्यता सुविधाएं अंतर्निहित हैं
- स्वयं को दिव्यांगजन के रूप में चिह्नित करें
- नए दिव्यांग मतदाता के लिए आवेदन करें
- व्हील-चेयर के लिए आवेदन करें

वोटर हेल्पलाइन ऐप

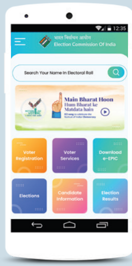

पंजीकरण एवं निर्वाचन संबंधी सेवाओं के लिए एक ही स्थान पर (वन-स्टॉप) समाधान

चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के विवरण की जांच करें

अपनी मतदाता सूचना पर्ची जेनरेट करें

'अपने अभ्यर्थी को जानें' (नो योर कैन्डिडेट) ऐप

अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा अपने शपथ पत्र में दिए गए विवरण की जांच करें-

अर्हता, आपराधिक पूर्ववृत्त, सम्पत्ति एवं देनदारियां (यदि कोई हों)

सी-विजिल ऐप

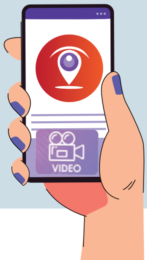

- निर्वाचनों की घोषणा के दिन से यह ऐप सक्रिय हो जाता है
- गैरकानूनी गतिविधियों/आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करें
- मोबाइल फोन (के माध्यम) से जुड़ा रहता है

दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए
आश्वस्त न्यूनतम सुविधाए

- रैम्प एवं व्हील-चेयर
- ब्रेल लिपि युक्त ईवीएम
- विशेष स्वयंसेवक
- दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग लाइन
- दिव्यांगजनों व वरिष्ठ नागरिकों के लिए परिवहन सुविधा
- सांकेतिक भाषा

घर से मतदान की सुविधा/डाक मतपत्र सुविधा

निर्वाचक (85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक एवं बेंचमार्क प्रमाणपत्र-धारी दिव्यांगजन) **फॉर्म 12घ** भरकर घर से वोट डालने की सुविधा और डाक मतपत्र सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अनिवार्य सेवाओं में कार्यरत निर्वाचक भी **फॉर्म 12घ** भरकर डाक मतपत्र सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

मतदाता शपथ

"हम, भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परम्पराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए, निर्भीक होकर, धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।"

चुनाव का पर्व
देश का गर्व
लोकसभा निर्वाचन 2024

voters.eci.gov.in
पर ऑनलाइन पंजीकरण करें
या अपने विवरण की जांच करें

इंस्टॉल किए जाने वाले ऐप

KYC
KNOW YOUR CANDIDATE

Voter

eci.gov.in

वोट ज़रूर डालेंगे हम

वोटर हेल्पलाइन
1950

fb.com/ECI | @ecisveep | youtube.com/eci | @ecisveep | Election Commission of India